

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2603/2026

Kapil S/o Babu, Aged About 18 Years, R/o Khuta Galiya,
Pssallopat, Dist-Banswara, Rajasthan. Presently Lodged In Jail
Banswara

-----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor
2. Prayusi D/o Kiran, R/o Khuta Galiya, Ps Sallopat,
Distbanswara, Rajasthan.

-----Respondents

For Petitioner(s)	: Mr. Raghuveer Singh Bhati
For Respondent(s)	: Mr. Hanuman Prajapati, PP
	None Present for R-2 despite service

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

27/03/2026

01. प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पुलिस थाना सल्लोपाट, जिला बांसवाड़ा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 195/2025, अपराध अन्तर्गत धारा 137(2), 87, 61(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 16/17 पॉक्सो एक्ट के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुआ है।
02. बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।
03. प्रार्थी-अभियुक्त के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि इस मामले में चालान पेश हो चुका है। प्रार्थी-अभियुक्त पर धारा 16/17 पॉक्सो एक्ट का आरोप लगाया गया है, जबकि प्रार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध पीड़िता द्वारा जो बयान दिये गए हैं, उनमें सह-अभियुक्त का उसके साथ गलत काम करना बताया है और प्रार्थी-अभियुक्त द्वारा पीड़िता को मोटरसाईकिल पर छोड़कर चले जाना बताया है। इस आधार पर विचारण में समय लगने की संभावना बताते हुए प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थी-अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।
05. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। इस मामले में चालान पेश हो चुका है। पीड़िता के 183 बी.एन.एस.एस. के बयानों पर विचार किया गया, जिसमें सह-अभियुक्त द्वारा उसके साथ बलात्कार करना बताया है तथा प्रार्थी-अभियुक्त द्वारा उसे मोटरसाईकिल पर छोड़कर चले जाना बताया है।
06. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।
07. परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी-अभियुक्त **कपिल पुत्र बाबू** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J